भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3651
10.08.2026 को उत्तर के लिए

अवैध रेत खनन के कारण पर्यावरणीय क्षरण

3651. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कई रेत घाटों पर प्रतिबंधित भारी मशीनरी का उपयोग तथा नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को हो रही क्षति सहित अवैध रेत खनन की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे अवैध रेत खनन के पर्यावरणीय प्रभाव तथा इसे रोकने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार अवैध रेत खनन के विरुद्ध प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को कोई निर्देश या सलाह जारी करने का है; और
(घ) क्या सरकार का विचार अवैध रेत खनन को रोकने और पर्यावरणीय अनुपालन में सुधार करने हेतु ड्रोन निगरानी, दूरसंवेदी, जीपीएस ट्रैकिंग और वास्तविक समय पर निगरानी जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। अतः खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का नियंत्रण तथा उससे संबंधित प्रयोजन संबंधित राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र सरकार के भंडारा जिला खनन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवैध रेत खनन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में, महाराष्ट्र सरकार ने भंडारा जिले के सभी रेत घाटों का निरीक्षण करने तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए सभी उप-मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, अवैध रेत खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रवर्तन को सुदृढ़

करने के लिए जिला, उप-मंडल तथा तालुका स्तर पर राजस्व, पुलिस तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त दल गठित किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान अवैध गतिविधियों के 672 मामलों में कार्रवाई की गई और इन मामलों में ₹585.17 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹282.57 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा 106 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2026-27 (आज की तिथि तक) के दौरान 93 मामलों में कार्रवाई की गई है और इन मामलों में ₹86.76 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से ₹50.65 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा 54 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने रेत का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग, महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) के माध्यम से रेत वाले घाटों का समय-समय पर सर्वेक्षण तथा रेत के उत्खनन एवं परिवहन की निगरानी के लिए 'महाखनिज' सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का भी उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के पूरक के रूप में रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020 भी जारी किए हैं, जो इन दिशानिर्देशों में रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस, ड्रोन तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकों के उपयोग के माध्यम से वैज्ञानिक एवं संधारणीय रेत खनन को बढ़ावा देने तथा अवैध रेत खनन की प्रभावी निगरानी, प्रवर्तन एवं रोकथाम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
